राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6345/2021

श्रीमती मंजू पारीक **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, झुंझुनू।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, झुंझुनू।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीमसर, जिला झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.12.2021
आदेश की दिनांक : 20.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.07.2020 एवं 17.08.2020 को अपास्त फरमाया जावे और प्रथम नियुक्ति दिनांक 30.03.2000 से गणना करते हुए अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान करते हुए शेष राशि सहित मय ब्याज 12 प्रतिशत भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 26.03.2000 की पालना में विधवा/परित्यकता वर्ग में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 29.03.2000 के द्वारा नियमित पद के विरूद्ध रिक्त पद पर तृतीय श्रेणी अध्यापक पद की वेतन श्रृंखला 5000–125–7000 में की गई, जिसकी पालना में अपीलार्थी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, स्टेशन रतन शहर झुंझुनू में पदस्थापित किया गया। वर्ष 2001 में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु स्वीकृति जारी की गई। अपीलार्थी ने वर्ष 2006 में एसटीसी प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया और अपीलार्थी को नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला देते हुए दिनांक 30.03.2009 से प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। राज्य सरकार के आदेशानुसार उक्त ग्रेड पे को संशोधित करते हुए 4200 ग्रेड पे स्वीकृत की गई।

परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 14.07.2020 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 30.03.2009 से दिये गये चयनित वेतनमान को संशोधित करते हुए दिनांक 26.07.2015 से देने के आदेश पारित किये और आलोच्य आदेश दिनांक 17.08.2020 को वसूली के आदेश जारी करते हुए वसूली जमा कराने के आदेश जारी किये। नियमानुसार अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 30.03.2018 से देय होने के बावजूद अपीलार्थी को नहीं दिया गया। उनका कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 3661/1996 श्रीमती पुष्पलता थाडा व 41 अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 26.04.2001 को यह निर्धारित किया कि प्रत्यर्थी विभाग में सेवा नियमों के अनुसार अप्रशिक्षित अध्यापक नियमित पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति होने के आधार पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं और प्रशिक्षण की दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ देने के आदेश विधि विरूद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी उक्त आदेश को सही माना गया है और इस प्रकार अपीलार्थी भी नियमित नियुक्ति दिनांक से ही चयनित वेतनमान प्राप्त करने का हकदार है। परंतु अपीलार्थी को विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है, जो उक्त विधि एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.07.2020 एवं 17.08.2020 को अपास्त फरमाया जावे और प्रथम नियुक्ति दिनांक 30.03.2000 से गणना करते हुए अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान करते हुए शेष राशि सहित मय ब्याज 12 प्रतिशत भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि आदेश दिनांक 07.08.1998 में वर्णित प्रावधान राजस्थान सेवा नियम, 1971 के नियम 11 के तहत नियुक्त विधवा एवं परित्यकता के अध्यापकों पर लागू किये गये। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 27.05.2011 के द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 का ही संशोधन किया गया है। अपीलार्थी द्वारा इस बिंदु में अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति जिला परिषद की स्थायी स्थापना समिति द्वारा चयन प्रक्रिया अपनाकर की गई है, जो पूर्णतया अस्थायी थी। अपीलार्थी का नियमितिकरण प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने की दिनांक 26.07.2006 से मान्य होगी और इस प्रकार अपीलार्थी वर्ष 2006 से चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का हकदार है और नियमानुसार अधिक

भुगतान होने पर अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली आदेश जारी किया गया है, जो सही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि आदेश दिनांक 26.03.2000 की पालना में विधवा/परित्यकता वर्ग में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 29.03.2000 के द्वारा नियमित पद के विरूद्ध रिक्त पद पर अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक पद की वेतन श्रृंखला 5000–125–7000 में की गई। वर्ष 2001 में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु स्वीकृति जारी की गई। अपीलार्थी ने वर्ष 2006 में एसटीसी प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया और अपीलार्थी को नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला देते हुए दिनांक 30.03.2009 से प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 14.07.2020 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 30.03.2009 से दिये गये चयनित वेतनमान को संशोधित करते हुए दिनांक 26.07.2015 से देने के आदेश पारित किये और आलोच्य आदेश दिनांक 17.08.2020 को वसूली के आदेश जारी करते हुए वसूली जमा कराने के आदेश जारी किये। माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 3661/1996 श्रीमती पुष्पलता थाडा व 41 अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 26.04.2001, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्ति दिनांक से अथवा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना उचित नहीं माना है तथा ऐसे मामले में नियमित नियुक्ति दिनांक से दिये गये चयनित वेतनमान के लाभ के संबंध में की गई वसूली को भी सही नहीं बताया। उक्त मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी सही माना गया है। इस प्रकार अपीलार्थी को नियमित नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिये जाने और पूर्व में दिये गये चयनित वेतनमान के संबंध में विभाग द्वारा जारी किया गया वसूली आदेश का प्रश्न है, कार्यालय आदेश दिनांक 29.03.2000 (अनुलग्नक–4) के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति नियमित पद के विरूद्ध विधवा/परित्यकता वर्ग से हुई है और इस प्रकार हमारे मत में नियमित पद के विरूद्ध अपीलार्थी को नियमित नियुक्ति प्रदान की गई है, जिसे 3 वर्ष के अंदर एसटीसी/बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य बताया गया है, परंतु अपीलार्थी द्वारा लगभग 6 वर्ष में उक्त प्रशिक्षण योग्यता अर्जित की गई लेकिन उक्त कार्यालय आदेश में यह भी अंकित नहीं किया गया कि प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त

दिनांक से ही समस्त सेवा लाभ प्रदान किये जायेंगे। हमारे मत में अपीलार्थी की नियुक्ति नियमित नियुक्ति है और उसे नियमित रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्त किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी उपर्युक्त विधि एवं नियमों के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से ही चयनित वेतनमान प्राप्त करने का हकदार है। विभाग द्वारा अपीलार्थी को नियमित नियुक्ति दिनांक से ही 9 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान का जो लाभ प्रदान किया गया है, वह सही एवं नियमानुसार है तथा उसे वसूल किया जाना नियमानुसार उचित नहीं है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और आलोच्य आदेश दिनांक 14.07.2020 एवं 18.08.2020 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त न्यायिक प्रतिपादित सिद्धांत एवं नियमों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक 30.03.2000 से सेवाओं की गणना करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नियमानुसार दिया जावे और यदि अपीलार्थी से उक्त मामले के संबंध में राशि वसूली गई हो तो उसे वापिस लौटाई जावें।

अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 28.12.2021 की पुष्टि (confirm) की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य